8/C

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान-जयपुर

क्रमांक:

वाद संख्या 1/82/31 दिनांक:

विषय: राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी निर्माण हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सुशीलपुरा खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा

पीठासीन अधिकारी

श्री मूलचंद, आर.ए.एस., विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

पक्षकार:-

1. श्री रामनाथ पुत्र जीवन जाति धानका
   जरिये श्री रामचन्द्र शर्मा, एडवोकेट.
2. राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर
   जरिये श्री दीनदयाल शर्मा, एडवोकेट.

:: अवार्ड ::

1।। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वज-निक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अंकित भूमि को अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम-53 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जावेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-7।72। न.वि.आ./11/81 दि. 12.1.1982 को राजस्थान राजपत्र के भाग"ख" में दिनांक 13.1.1982 को प्रकाशित की गई। ग्रामवार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:--

(स्टाम्प: ...धिकारी, ...विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान, जयपुर.)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	बीघा	बिस्वा
1.	सुशीलपुरा	807	06
2.	देवरी	679	04
3.	झालानाचौड	936	03
4.	बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला	30	11
5.	मानपुरा देहरी उर्फ गोल्यावास	27	07
6.	नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास	82	04
	योग:	2570	15

(2) तत्पश्चात राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उप धारा (1) में उल्लेखित नोटिस में प्रकाशित होजाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु जिलाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(72) न.वि.आ./II/81 दिनांक 9 फरवरी, 1982 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 9.2.82 भाग-1"ख" में प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया।

(3) धारा 17(4) की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात अवाप्ति के अन्तर्गत भूमि सर्वे तहसीलदार, सांगानेर से कराया गया। तत्पश्चात समस्त खातेदारों / हितधारियों के नाम भूमि का कब्जा स्थानान्तरण हेतु तथा अपना हक व हित प्रस्तुत करने हेतु पब्लिक नोटिस नियमानुसार दिनांक 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया। पब्लिक नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात निम्न लिखित तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया।

दिनांक 22.5.82	ग्राम सुखीलपुरा, नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास एवं देवरी
दिनांक 24.5.82	झालाना चौड, बलरामपुरा उर्फ खेजडावाला मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास.

भूमि का कब्जा लिया जाकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को संभलाया गया।

(4) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात विभिन्न खातेदारों/ हितधारियों को अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये समस्त खसरा नम्बर की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.6.1982 में प्रकाशित की गई।

...धिकारी
... विभाग
...जयपुर.

....2.......

(5) अधिनियम की धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस प्रकाशित करने से पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ-7(72)न.वि.आ./II/81 दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम सुखालपुरा, झालानाचौड एवं गोल्यावास की कुछ खसरा नम्बरों की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, अतः अधिनियम की धारा 9(1) के नोटिस में स्थगन आदेश सम्बन्धित भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया एवं कब्जा भी नहीं लिया गया। इसप्रकार स्थगन आदेश संबंधित भूमि को छोडते हुए तथा राजस्व अधिकार में अंकित रकबे से अधिक रकबे को छोडते हुए निम्न ग्रामों के आगे अंकित भूमि का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं 24.5.82 को लिया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को सौपा गया।

ग्राम का नाम	बीघा	बिस्वा
1. बलरामपुरा उर्फ खिजडावाला तहसील सांगानेर	38	11
2. मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर.	24	06
3. नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर	82	04
4. झालानाचौड तहसील सांगानेर	852	10
5. देवरी तहसील सांगानेर	667	13
6. सुखालपुरा तहसील सांगानेर	726	19
योग	2392	11

(6) खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जिसका अवार्ड दिया जा रहा है यह भूमि कुल ग्राम सुखालपुरा कुल की 726 बीघा 19 बिस्वा भूमि में सम्मिलित है, जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:---

क्र.स.	नाम खातेदार/ हितधारी	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा)	भूमि की किस्म
1.	श्रीरामनाथ पुत्र जीवन जाति धानका.	55	3-10	चाही

भू-अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर.

उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रामल्या पुत्र जीवन जाति धानका के नाम से अंकित है किन्तु गजट नोटिफीकेशन दिनांक 9 फरवरी 1982 में भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीधा 10 श्री रामल्या के स्थान पर रामनाथ पुत्र जीवन छप कर प्रकाशित हुई है, वास्तव में खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड के अनुसार श्री रामल्या पुत्र जीवन जाति धानका की है। खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा का रामनाथ के नाम से किसी अन्य ने क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, श्री रामल्या पुत्र जीवन धानका ने ही भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा का क्लेम प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपने छोटे भाई श्री कालू पुत्र जीवन को भी बराबर का हिस्सेदार हितधारी खातेदार माना है। अतः अवार्ड तदानुसार दिया जा रहा है।

।7। अधिनियम की धारा 9।3। के अन्तर्गत खातेदार श्री रामल्या पुत्र जीवन धानका को नोटिस दिया जसके उत्तर में श्री रामल्या श्री कालू पिसरान जीवन ने अपना हिस्सा 1/2, 1/2 बताते हुए क्लेम प्रस्तुत किया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:----

श्री रामल्या, श्री कालू पि. जीवन द्वारा प्रस्तुत क्लेम:--

।क। भूमि की कीमत 45,000/- रुपये प्रति बीधा की दर से	2,00,250.00
।ख। भूमि की पोटेन्शियल वेल्यू 15,000/- प्रति बीधा की दर से	66,750.00
।ग। पक्के धोरे, सीमेन्ट के नल का मुआवजा	1,169.00
।घ। मिट्टी की डोली की कीमत	3,000.00
।ङ। भूमि छ विकास खर्च	7,000.00
।च। आय देने वाले व अन्य वृक्षों का मुआवजा	20,500.00
।छ। आवासीय पुख्ता मकान की कीमत	1,23,680.00
।ज। छप्पर घर व छप्परों का मुआवजा	6,925.00
।झ। अनिवार्य वाप्ति का मुआवजा 10प्रतिशत अतिरिक्त।	

[illegible]अधिकारी
[illegible] विकास एवं [illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर.

।झ। अवधि की कार्यवाही में धन एवं समय
व्यय का मुआवजे की राशि पर
5 प्रतिशत मुआवजा।

।ठ। शिफ्टिंग चार्जेज का मुआवजा 5,000.00

।ढ। 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मुआवजे
की भुगतान तिथि तक।

।8। राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारान के क्लेम का उत्तर प्रस्तुत करते हुए भूमि की कीमत 10,000/- प्रति बीघा मिट्टी के डौले के 1,692.75 रुपये, वृक्षों के 2,200/-रुपये प्लान्ट्स के 262/-रुपये मकानों के 1,028,352.40, छप्पर हट्स के 1,500.50 एवं छप्पर हट्स के 1,774.50 देना जायज प्रस्तावित कियाहै ।।

।9। भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स आदि का आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता ने तखमीना प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से मुआवजा देना प्रस्तावित किया है :--

।क।	मिट्टी के डौले की कीमत	1,692.72
।ख।	पेड़।बम्बूल अरडू, खेजड़ा।	2,200.00
।ग।	प्लान्ट्स।अमरूद, नींबू, शहतूत।	262.00
।घ।	आवासीय पुख्ता मकान	1,02,352.40
।ड।	छप्पर हट	1,501.50
।च।	छप्परस हट	1,774.50

।10। दावेदारान की ओर से अपने क्लेम के समर्थन में निम्न लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत किए है :--

।1। एक सेवा निवृत अभियन्ता द्वारा स्ट्रेक्चर्स का तखमीना
।2। आवासीय पुख्ता मकान का मानचित्र
।3। विक्रय पत्र दिनांक 9.8.1981
।4। विक्रय पत्र दिनांक 15.11.73
।5। विक्रय पत्र दिनांक 17.7.1972
।6। विक्रय पत्र दिनांक 1.1.73
।7। विक्रय पत्र दिनांक 2.6.1981
।8। खसरा व गिरदावरी सम्वत 2034 से 2038
।9। [illegible] जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 तक
।10। पर्चा भू प्रबंध विभाग दिनांक 19.8.1971।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

.....6.....

।1। आवासन मण्डल द्वारा दावेदारान के क्लेम के जवाब के अतिरिक्त निम्न लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत किये है:--

।1। विक्रय पत्र दिनांक 13.4.1981

।2। विक्रय पत्र दिनांक 4 जनवरी 1982

।3। भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स का तखमीना.

।12। मैंने इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का मौका निरीक्षण इस योजना के आवासीय अभियन्ता के साथ किया इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी । दावेदारान ने अपनी कृषि भूमि की अपने क्लेम में 45,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से मांग की है इसके समर्थन में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है उनसे यह दर सिध्द नहीं होती है तथा मैं इस दर को बहुत अत्याधिक मानता हूँ । आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में कृषि भूमि दर 10,000/- प्रति बीघा देना प्रस्तावित किया है । मैं इस भूमि की दर को भूमि की बढ़ती हुई कीमत व इसकी पोटेन्शियलिटी को देखते हुए कम मानता हूँ । इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि विज्ञप्ति दिनांक को भूमि की दर निर्धारित करना है क्योंकि इन मामलों से सम्बन्धित विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.1.1982 को जारी की जा चुकी है और इसके पश्चात इसी क्षेत्र के कई मामलों का निर्धारण भी किया जा चुका है, जिसमें भूमि की दर चाही 20,000/-रुपये प्रति बीघा, बारानी व बंजड 19,000/-रूपये प्रति बीघा एवं सडक की सीमा में आने वाली भूमि की दर 1,000/- रूपये प्रति बीघा अतिरिक्त निर्धारित की गई है । अतः इन दरों को मद्य नजर रखना न्यायोचित होगा ।

दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बतलाया कि भूमि खसरा नम्बर 55 का रकबा 4 बीघा 9 बि. है. राजस्व रेकार्ड में 3 बीघा 10 बिस्वा गलत इन्द्राज है अपने इस तर्क के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान पर्चा भू प्रबंध विभाग की ओर दिलाया और कहा कि मुआवजा 4 बीघा 9 बिस्वा का दिया जाना चाहिए । मैंने

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी के निरीक्षण पर मैंने पाया कि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ही अंकित है, अतः मैं विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पर्ची भू प्रबंध में अंकित रकबे को मानना न्यायोचित नहीं समझता तथा राजस्व रेकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर 55 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ही मान कर भूमि का मुआवजा देना न्यायोचित समझता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मेरा ध्यान अपने द्वारा प्रस्तुत क्लेम की ओर दिलाया और कहा कि प्रस्तुतप्रकरण में भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार श्री रामल्या पुत्र जीवन धानका के ही नाम अंकित है जबकि इस भूमि पर रामल्या का सगा भाई कालू भी आधी भूमि पर कब्जा खातेदार काश्तकार है। श्री जीवन की मृत्युपरान्त रामल्या बडा पुत्र होने के कारण विरासत का नामान्तरकरण रामल्या के नाम स्वीकार हुआ था। प्रस्तुत क्लेम में श्री रामल्या इस बात को स्वीकार करता है कि कालू मेरा सगा भाई है और इस आराजी में उसका बराबर - बराबर हिस्सा है, अतः इस आराजी का मुआवजा रामल्या व कालू बराबर बराबरपाने के अधिकारी है। अतः मुआवजा रामल्या व कालू पिसरान जीवन धानका को बराबर बराबर दिया जावे। अपने इस तर्क की पुष्टि में विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 व 18, भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 29 की ओर आकर्षित किया और अपने तर्क की पुष्टि में ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 409 व 1724 तथा ए.आई.आर. 1976 बाम्बे पेज 219 प्रस्तुत की और उपरोक्त रुलिंग्स का विश्लेषण करते हुए बतलाया कि "एडमीशन सर्वोत्तम शहादत है" उन्होंने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार भी एडमीटेड फैक्ट्स को साबित करने की आवश्यकता नहीं पडती। मैंने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत व वर्णित रुलिंग्स का अध्ययन किया मैं विद्वान अधिवक्ता की बहस से सहमत हूँ।

विशेषाधिकारी
... विकास एवं ... विभाग
राजस्थान, जयपुर.

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि भूमि राजस्व रेकार्ड में चाही अंकित है, इस भूमि में रबी एवं खरीफ की दोनों फसलें पैदा होती है । भूमि बहुत उपजाऊ है तथा भूमि सडक से भी नजदीक है, अतः इस भूमि का मुआवजा इसकी उपजाऊ शक्ति राजस्व रेकार्ड में अंकित किस्म तथा सडक से नजदीक स्थिति को मध्य नजर रख कर किया जाना चाहिए । मैंने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । इस प्रकरण से संबंधित भूमि का मौका निरीक्षण किया, मैं विद्वान अधिवक्ता की बहस से सहमत हूँ तथा भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से देना न्यायोचित मानता हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान श्री रामल्या व कालू के बने पुख्ता मकान की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता ने इस पुख्ते मकान का जो तखमीना प्रस्तुत कर इस मकान के रु. 1,02,352.40 पैसे देना प्रस्तावित किया है जो बहुत ही कम है । मकान बहुत लम्बा, चौडा बना हुआ है । इसमें 9 कमरें बने हुए है इसके अन्दर चारों तरफ घूमता हुआ बरामदा बना हुआ है तथा एक बरामदा बाहर की और बना हुआ है जिसमें एक ही पत्थर के लगभग 7-5 फुट ऊंचे पत्थरों से बने हुए खम्बे लगे हुए है । इस मकान की छत पर जाने के लिए दो सिढ्ढीयां बनी हुई है । मकान के सारे कमरों में सीमेन्ट का आर्यरन हो रहा है । अण्डर ग्राउण्ड बिजली की फिटींग हो रही है । सब कमरों में खिडकी दरवाजे लगे हुए है तथा इन पर ऐनामल पेन्ट हो रहा है, अतः इस मकान का मुआवजा हमारे क्लेम में प्रस्तुत तखमीनें के आधार पर दिलाया जाना चाहिए । मैंने श्री रामल्या व कालू के बने पुख्ता मकान का अवलोकन इस योजना से सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता के साथ मौका निरीक्षण के समय किया । मैं इस मकान के अन्दर बने कमरों की संख्या, इनकी लम्बाई चौडाई, मकान के अन्दर बने हुए बरामदों एवं इनकी फिनिसिंग आदि को देखते हुए इस आवासीय पुख्ता मकान का मुआवजा आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पुख्ता मकान के तखमीने से 20 हजार रुपये अधिक देना न्यायोचित समझता हूँ ।

विशेषाधिकारी
विकास एवं ... विभाग
राजस्थान, जयपुर.

....9.....

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मेरा ध्यान श्री रामल्या एवं कालू के बने दो खाम घर, छप्पर पोश तथा दो खाम घर टीन पोश की ओर आकर्षित किया और कहा कि इन खाम मकानात का मुआवजे का तखमीना आवाप्ति मण्डल ने इस पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है । खाम घर काफी लम्बे बने हुए है अतः इनका मुआवजा दिया जाना चाहिए । तथा आवाप्ति मण्डल ने जमीन में दबे ए.सी. पाईप के मुआवजे का तखमीना भी प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सीमेन्ट के नलों का भी मुआवजा दिया जाना चाहिए । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा मौका निरीक्षण करते समय मैंने श्री रामल्या व कालू के चार खाम घर का भी अवलोकन किया । मैं श्री रामल्या व कालू के इन खाम घरों के मुआवजे के रूप में 3,000/- रुपये देना न्यायोचित समझता हूँ । तथा श्री रामल्या व कालू के भूमि में दबे 50 फुट पाईप के 200/- रुपये xxxxxxx मुआवजे के रूप में देना न्यायोचित समझता हूँ । श्री रामल्या व कालू के भूमि खसरा नम्बर 55 में अन्य स्ट्रेक्चर्स का मुआवजा आवाप्ति मण्डल के तखमीने के अनुसार मिट्टी की डोली के 1,692.75, पेड़ (बम्बूल, अरडू, खेजडा के) 2,200/- प्लान्टस (अमरूद, नींबू, शहतूत आदि) 262/-रुपये, छप्पर हट्स के 1,501.50 एवं एक अन्य छप्पर हट्स के 1,774.50 रुपये देना स्वीकार करता हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अर्जेन्सी मानते हुए अधिनियम की धारा 17(4) में अवाप्त की गई है । अतः अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार सोलेशियम 10 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर दिलाया जावे । इस तर्क के संबंध में अधिनियम की धारा 23(2) का अध्ययन किया । अतः इसके आधार पर 10 प्रतिशत सोलेशियम दिया जाना भी न्यायोचित मानता हूँ । विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बतलाया है, क्योंकि जोत का कब्जा दिनांक 22.5.82 को आवाप्ति मण्डल को दिया जा चुका है । मैंने अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया, अतः मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ ।

विशेषाधिकारी
...विकास एवं ...
राजस्थान, जयपुर.

।13। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता है:--

1. श्री रामल्या, श्री कालू पिसरान जीवन धानका

।क।	भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा दर 21,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से	73,500.00
।ख।	आवासीय मकान का मुआवजा	1,22,352.40
।ग।	चार खाम घरों का मुआवजा	3,000.00
।घ।	ए.सी.पाईप का मुआवजा	200.00
।ङ।	मिट्टी की डोली के 1,692.75 पेड़ों के 2,200.00 प्लान्ट्स के 262.00 छप्पर हट्स के 1,501.50 छप्पर हट्स के 1,774.50 आवासन मण्डल के तखमीने के अनुसार कुल रुपये 7,430.75	7,430.75
	योग	2,06,483.15
।च।	अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से	20,648.31
	योग	2,27,131.46
।छ।	मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर से दिनांक 22.5.82 से 21.11.83 तक	13,627.87
	कुल योग	2,40,759.33

।अक्षरे दो लाख चालीस हजार सात सौ उनसठ रुपये 33 पैसे मात्र।

इस प्रकार आज दिनांक 21.11.1983 को रुपये 2,40,759.33 ।अक्षरे दो लाख चालीस हजार सात सौ उनसठ रुपये 33पैसे मात्र का अवार्ड घोषित किया गया । अधिनियम की धारा ।2।।। के अनुसार अवार्ड सामिल

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

.....11....

फाईल हो । एवं अधिनियम की धारा 121(1) के अनुसार संबंधित क्षती-दारान को सूचित किया जावे । तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर तथा तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो ।

निर्णय तरे इजलास सुनाया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

क्रमांकः

दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. श्री रामल्या, श्री कालू पिसरान जीवन धानका निवासी सुखालपुरा तहसील सांगानेर

21/11/83
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

O/C.

1380 To 1383